

विचार बिन्दु

दया और सत्यता परस्पर मिलते हैं, धर्म और शांति
एक-दूसरे का साथ देते हैं। -बाह्बल

प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने मीडिया की स्वतंत्रता हेतु श्री अशोक गहलोत के बयान पर क्यों प्रहार किया?

दि

नंक 15.11.2022 के आदेश में जो प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने, राकेश शर्मा पूर्व पीसीआई सदस्य की लिखित शिकायत पर अपने विवेक से स्पष्टान से कार्यवाही की है, उसमें अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य की टिप्पणी जो उह्वेंने दिनांक 16.12.2019 की एक प्रेस कॉफरेंस में, प्रेस के बारे में की थी तथा उस पर गमधर्म नाराजगी जताई थी। श्री गहलोत की रीत टिप्पणी खुली धमकी की थी कि सकारात उन अखबारों को जो विज्ञापन करारी करों जो सकारात की रीत रिवाज का वाक कमज़ोर को पूरे विभागों, बोर्ड व निकायों से प्रसारित करते हैं। यह धमकी अखबारों को स्वतंत्रता पर सीधे प्रहार करा। यहां वह खिलाफ समीक्षान होगा कि लगावां 3 वर्षों से राष्ट्रदूत, जो राज्य का एक प्रमुख अखबार है को आगे अनुकूल खबरें प्रकाशित नहीं करने के कारण राष्ट्रदूत को सकारात ने विज्ञापन देना बंद किया।

राष्ट्रदूत राजस्थान का तीसरा सर्वाधिक सर्कुलेशन वाला दैनिक समाचार पत्र है इसके आठ संस्कृत प्रकाशित होते हैं और राष्ट्रदूत को राज्य के विभागों, बोर्ड व निकायों से इनके विज्ञापन मिलते थे, अब नहीं मिलते के बाबत वह 9वें स्पष्टान पर आग रहा।

श्री अशोक गहलोत ने मीडिया में जो बात दिया है इस प्रकार क्या कि हमारी यानी अशोक गहलोत सकारात की न्यूज छाँगें तो ही विज्ञापन मिलता।

इस प्रकारण में पीसीआई ने सभी सर्वाधिक व्यक्तियों को नोटिस दिया, सरकार का स्पष्टीकरण भी लिया। राज्य को विज्ञापन पोलिस का भी प्रिलेपन किया। सभी के उत्तर से प्रयास किया। मीडियों भी सुना कि बाबत जो बार्ड और रिपोर्टर्स को फाइल का भाग बनाया। यह भी आपसिंह उठाई कि पीसीआई को सुनवाई का अधिकार नहीं है। प्रेस कॉउन्सिल ऑफ इण्डिया ने सभी पक्षों को सुनें के बाद तथा प्रेस कॉउन्सिल एक्ट 1978 की भी भावाना को समझने का प्रयास किया। अपनी findings दी, वे ऐस प्रकार हैं:-

1) Curtailing the amount of advertisement released to a newspaper would impact free speech as advertisements themselves, supplement the cost of publishing the newspaper.

2) Rajasthan CM Ashok Gehlot's statement that his government would only give advertisement to media that report "positive stories about the State Government and cited "extreme displeasure" at its advertisement policy that allegedly discriminated against a news paper for these years.

3) The statements made by the CM, "would restrict the supply and dissemination of news of public interest.

Final decision:

4) "The Press Council on consideration or record of the case and report of the Inquiry Committee accepts reasons, findings and adopts the report of the Committee and decides to express the extreme displeasure about the statement in question made by the Chief Minister of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot and disposes of the matter accordingly with aforesaid observations."

इस केस के तथ्यों के बाबत की मृदृष्टि में हम समझने का क्रायांक करें कि विचार का अधिकार व्यक्तियों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार नाराजाओं और प्रेस (मीडिया) को समान रूप से प्राप्त है?

भारत के संविधान में अपनी उद्देश्यांक में देश के प्रत्येक नागरिक को विचार का अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता और अधिकार व्यक्ति स्वतंत्रता का संक्षण किया है। प्रेस की स्वतंत्रता का उद्भव भी अनुच्छेद 19 (1) से ही है वो अनुच्छेद 19 (2) भी अनुच्छेद 21 की पृष्ठ पर है।

साधारण आदानी की जहां पहुँच नहीं वहाँ प्रेस पहुँच सकता है, उसे प्रेस गेलेरी का अधिकार है। प्रेस को यह अधिकार प्राप्त है कि मीडिया की भूमिका दृस्टी के रूप में है।

मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है।

प्राप्त है और इसलिये प्राप्त है कि

मीडिया की भूमिका दृस्टी के रूप में है।

मीडिया, जनता की आँख व कान होते हैं, अतः मीडिया का कार्य जनता के लिये जानकारी उपलब्ध कराना और प्रकाशित करने का है।

प्रकाशित करने का है।

इंगिलिश कॉर्नल लॉ हेरिटेज से देश ने खुली अदालत की प्रिपोर्ट कर सके। इस प्रकार मीडिया सार्वजनिक सेवा की ही कार्यकरता है और जारी करने के बाबत वह अपनाया है ताकि मीडिया का यह कर्तव्य है कि सही प्रिपोर्ट करें।

यदि हम सिद्धान्त के रूप से देखें तो यह पायेंगे कि व्यक्ति के अधिकार और प्रेस के अधिकार में कोई अन्तर नहीं है। ही प्रिविट्स में अधिकार का अधिकार है और इसलिये व्यक्ति के व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। इस प्रकाशित करने के बाबत व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, क्योंकि अनिवार्यता स्वतंत्रता या प्रेस की मिन्कुश स्वतंत्रता: व्यक्ति के अंदरूनी के लिए संकट प्रदान करने के बाबत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 (2) में उत्तरी - पश्चिम में स्थित है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह व्यक्ति की सुनवाई की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (1) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह क्षेत्र गुरुत्व प्रतिहारी के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह क्षेत्र गुरुत्व प्रतिहारी के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह क्षेत्र गुरुत्व प्रतिहारी के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह क्षेत्र गुरुत्व प्रतिहारी के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।

महाजनपद काल में यह क्षेत्र मत्त्य महाजनपद के अन्तर्गत आता था जिसकी उपरांती राज्याधीनी विराटनामी थी जो बाद मैरी साप्रायाज के उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) में सीमित किया है, जो दिल्ली के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज का वंशज होने का दावा करते हैं। चौहान राज्यात्मक मदन ने सन 1170 में मृणाल की स्थापना की परिचय कराया है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के वालों में कहा कि दिल्लियां का विकास भारत को साथ लेकर चलना में यह क्षेत्र गुरुत्व प्रतिहारी के प्रिसिद्ध राजा पृथ्वीराज की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है। अतः अनुच्छेद 19 (2) के अधिकारों में लोक व्यक्ति की उपरांत व्यक्ति की स्वतंत्रता है।</p